

**अस्थायी वीज़ा धारकों के लिए कोविड-19 आपातकालीन लाभ में बढ़ोत्तरी**

* अस्थायी वीज़ा धारकों के लिए कोविड-19 आपातकालीन लाभ छह महीनों के लिए और बढ़ा दिए गए हैं।
* यह अल्पकालीन सहायता 28 फरवरी को समाप्त होनी थी, लेकिन इसे इस वर्ष 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
* कोविड-19 (COVID-19) के कारण अभी भी कुछ देशों तक यात्रा सीमित होने के कारण, आपातकालीन लाभ बढ़ा दिए गए हैं, जिससे सामाजिक विकास मंत्रालय अस्थायी वीज़ा वाले ऐसे व्यक्तियों की मदद करता रहे, जिनको सहायता की ज़रूरत है, जो कठिनाई में हैं, और कोविड-19 के कारण अपने घर नहीं लौट सकते।
* आपातकालीन लाभ, ऐसे व्यक्तियों के लिए रहन-सहन की बुनियादी लागतों में मदद कर सकते हैं, जो अपनी सहायता नहीं कर सकते, और कोविड-19 के कारण घर नहीं लौट सकते।
* **कोविड-19 चेतावनी स्तर 1 के अंतर्गत:** व्यक्तियों को 28 फरवरी के बाद अपने आपातकालीन लाभों को बढ़वाने के लिए या पहली बार आवेदन करने के लिए वर्क एंड इन्कम सर्विस सेंटर में जाना होगा। अपना निकटतम सर्विस सेंटर खोजने के लिए, कृपया निम्न लिंक पर क्लिक करें: <https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-centre>.
* **कोविड-19 चेतावनी स्तर 2, 3 या 4 के अंतर्गत:**  व्यक्तियों को 28 फरवरी के बाद अपने मौजूदा आपातकालीन लाभ भुगतानों का पुनः मूल्यांकन करवाने और बढ़वाने या पहली बार आवेदन करने के लिए के लिए कॉल बैक बुक कराने के लिए 0800 559 009 पर फोन कर सकते हैं।
* आपातकालीन लाभ की पात्रता वाले व्यक्तियों को फैमिली टैक्स क्रेडिट और बेस्ट स्टार्ट टैक्स क्रेडिट और, 1 मई 2021 से शीतकालीन ऊर्जा भुगतान (विंटर एनर्जी पेमेन्ट) भी मिल सकता है।
* अस्थायी वीज़ा धारक जो आपातकालीन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनसे अपेक्षित है कि वे कार्य की या अपनी सहायता के अन्य तरीकों की खोज करें, जिसमें घर वापस लौटना भी शामिल है, जब भी संभव हो।
* सामाजिक विकास मंत्रालय (MSD) जहां भी संभव होगा, व्यक्तियों का उपयुक्त अस्थायी रोजगार अवसरों से संपर्क स्थापित कराता रहेगा।
* आवेदन करने के लिए मदद:
  + आप आवेदन फार्म भरने में आपकी मदद के लिए किसी से आग्रह कर सकते हैं, जिनमें वर्क एंड इन्कम सर्विस सेंटर के कर्मचारी भी शामिल हैं। सुनिश्चित करें कि ये व्यक्ति आवेदन फार्म में सहायक का वक्तव्य भरें।
  + आप सामाजिक विकास मंत्रालय से व्यवहार करते समय अपनी ओर से कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। यह व्यक्ति एजेंट कहलाता है। आपकी ओर से किसी अन्य द्वारा कार्य किए जाने के संबंध में अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है: <https://www.workandincome.govt.nz/on-a-benefit/your-rights-and-responsibilities/having-someone-act-on-your-behalf.html>
  + आप अपनी भाषा में किसी से बात करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। मुलाकातों के लिए फोन पर, या चेतावनी स्तरों के अनुसार अनुमति होने पर व्यक्तिगत रूप से दुभाषिए की व्यवस्था की जा सकती है। दुभाषियों के बारे में अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है: <https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/language-lines/index.html>
* अस्थायी वीज़ा धारकों के लिए कोविड-19 आपातकालीन लाभ के बारे में अधिक जानकारी वर्क एंड इन्कम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः <https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html>

इस संदेश का अनुवाद ट्रांस्लेशन सर्विसिज़, डिपार्टमेंट ऑफ इंटर्नल अफेयर्स (अनुवाद सेवाएं, आंतरिक मामलों के विभाग) द्वारा किया गया है और मल्टीलिंग्वल इन्फोर्मेशन नेटवर्क (बहुभाषी सूचना तंत्र) द्वारा साझा किया गया है। नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी के लिए [जातीय समुदायों का कार्यालय की वेबसाइट](https://www.ethniccommunities.govt.nz/resources-2/multilingual-information-network/) पर जाएं।